राष्ट्रभाषा के प्रति डॉ0 राममनोहर लोहिया के विचार

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डी0 एस0 एम0 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ (उ.प्र.)

भाषा के मामले में डॉ0 राम मनोहर लोहिया खुले तौर से हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि जितने नाम पट्ट अंग्रेजी में हों उनको पोत दिया जाये। स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापक का वहाँ के विद्यार्थी खड़े होकर विरोध करें। कचहरी में दंडाधिकारी और न्यायाधीशों से हिन्दी की माँग हो। व्यवस्थापिका और संसद में जो लोग हिन्दी में न बोलें उनका विरोध हो।"[1]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, 344 और 351 की ओर ध्यान दिलाते हुए डॉ0 लोहिया ने स्पष्ट किया कि संघ की भाषा हिन्दी होगी। संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा का इस्तेमाल दिनों–दिन बढ़ाया जायेगा। संविधान के अनुसार सन् 1965 ई0 के बाद अंग्रेजी का सभी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सन् 1965 ई0 तो क्या सन् 1975 ई0 तक भी क्या हिन्दी को वह स्थान मिला ? अंग्रेजी हटाने के सम्बन्ध में डॉ0 लोहिया कहा करते थे कि इस आन्दोलन का अर्थ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लादना नहीं है; बल्कि अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषाओं को प्रतिष्ठित करना है।[2] डॉ0 लोहिया के मतानुसार अंग्रेजी हिन्दुस्तान को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा रही है कि वह विदेशी है; बल्कि इसलिए कि भारतीय प्रसंग में वह सामंती है। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी बोलने वाले चालीस से पचास लाख लोग हैं और समझने तथा वेशभूषा वाले पचास से सत्तर लाख लोग होंगे। कुल मिलाकर एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। जिस भाषा को देश के 99 प्रतिशत लोग नहीं समझते, उसमें देश का सारा कामकाज करने वाला हमारा ही देश है। ये मुट्ठीभर लोग अंग्रेजी को इसलिए हथियाये हुए हैं कि वे सत्ता में बने रहें। इतने बड़े जनसमूह पर अधिकार और शोषण करने का उनका यह सबसे बड़ा हथियार है अंग्रेजी। डॉ0 लोहिया के अनुसार '40 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए 30 लाख लोगों की अंग्रेजी एक गुप्तविद्या है; इन टोना–टोटका या भूत झाड़ने के मंत्र जैसी गुप्तविद्याओं से किसी देश का भला हुआ करता है। डॉ0 लोहिया अक्सर कहा करते थे कि आज देश के वकील, डॉक्टर और मंत्री अंग्रेजी भाषा में अपनी ओझाई चला रहे हैं।'[3]

अंग्रेजी के सम्बन्ध में डॉ0 लोहिया कहा करते थे कि 'बेचारी अंग्रेजी भारत में अभी शैशवकाल में है। जबकि हिन्दी के पीछे तो हजारों वर्षों पुरानी भाषा संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, उर्दू आदि का इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी इस योग्य नहीं,उसमें शब्द नहीं।[4] ऐसा सोचने वाले गलत हैं। हिन्दी में न जाने कितना पानी आकर मिला है। एक मायने में यह संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अंग्रेजी में कुल ढाई लाख शब्द हैं, हिन्दी में कुल छह लाख।[5]

डॉ0 राममनोहर लोहिया का मानना था कि ज्ञान के लिए किसी खास भाषा पर अधिकार आवश्यक नहीं है बल्कि मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है। वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे क्योंकि देश की अधिकांश जनता हिन्दी समझती थी

जबकि अंग्रेजी हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक थी। डॉ0 राममनोहर लोहिया के शब्दों में ''अंग्रेजी का प्रयोग मौलिक चिंतन को बाधित करता है, आत्महीनता की भावना को पैदा करता है और शिक्षित व अशिक्षित के बीच खाई बनता है। अतः आइये हम सब मिलकर हिन्दी को उसका पुराना गौरव लौटायें।'' डॉ0 राममनोहर लोहिया का विचार था कि ''अंग्रेजों ने बन्दूक की गोली और अंग्रेजी की बोली से हम पर राज किया है।'' जहां तक भारतीय भाषाओं की सामर्थ्य का सवाल है तो इस बारे में डॉ0 राममनोहर लोहिया का विचार था कि यदि वे असमर्थ हैं, तो उनका बहुतायत प्रयोग ही उन्हें समर्थ बना सकता है। केवल पारिभाषिक शब्दावली निर्धारित करने वाले कोश या पाठ्य पुस्तकें बनाने वाली कमेटियों के द्वारा किसी भाषा को समर्थ नहीं बनाया जा सकता। अदालतों, स्कूल–कालेजों और ऐसी अन्य संस्थाओं में जितना ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह उतनी ही सक्षम बनती है। यद्यपि शुरूआत में उसके प्रयोग से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परन्तु प्रयोग करते–करते धीरे–धीरे उसमें निखार आता है और भाषा मजबूत होती चली जाती है। हमारे देश में इस प्रक्रिया को उलट दिया गया है, इसी वजह से भाषा सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न हुई है। भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के समतुल्य तभी आ सकती हैं, जब हम उनका अधिकाधिक प्रयोग कर उन्हें सामर्थ्यवान बनाएं। डॉ0 लोहिया अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे बल्कि अंग्रेजी परस्त लोगों की स्वार्थी मनोवृत्ति के विरोधी थे। ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हुए उनका मानना है कि ''हिन्दी की दुर्दशा आज ऐसे ही बुद्धिजीवियों के कारण हुई है जिन्हें इतना भी नहीं पता है कि हिन्दी 900 साल से अधिक पुरानी है। हम जब तक अपनी भाषा को नहीं जानेंगे तो लड़ेंगे कैसे ? उसी का फायदा अंग्रेजी परस्त लोग और दूसरे बुद्धिजीवी उठा रहे हैं।''[6]

केन्द्रीय सरकार की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। केन्द्र का राज्यों से व्यवहार हिन्दी में हो और जब तक कि वे हिन्दी न जान लें केन्द्र को अपनी भाषा में लिखें। स्नातक तक की पढ़ाई का माध्यम अपनी मातृभाषा हो और उसके बाद का हिन्दी। जिला जज व मजिस्ट्रेट अपनी भाषाओं में कार्यवाही कर सकते हैं, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। लोकसभा में साधारणतः भाषण हिन्दुस्तानी में हो, लेकिन जो हिन्दी न जानते हों वे अपनी भाषा में बोलें। यद्यपि यही सही भाषा–नीति है, फिर भी यदि कोई प्रदेश या उसकी सरकार इस नीति को न माने और सभी क्षेत्रों में अपनी भाषा को चलाना चाहें तो उसे छूट होनी चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर और दूषित एवं स्वार्थी मनोवृत्ति के चलते राष्ट्रहित को देखते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंग्रेजी को हटाना। उनके लिए स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न और लाखों–करोड़ों को हीन ग्रन्थि से उबारकर आत्मविश्वास से भर देने का स्वप्न था। डॉ0 लोहिया का विचार था कि ''मैं चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि गर्व करें इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए जिनके मां–बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हों।''[7]

इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दी आधुनिक नहीं है। आधुनिक ज्ञान इस भाषा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, न भाषा का रथ ऐसे ज्ञान के लायक बन पाया है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया का यहाँ तात्पर्य सम्भावनाओं से नहीं है, केवल वक्ती असलियत से है। हिन्दी में न जाने कितना पानी आकर मिला है। एक मायने में यह संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसका शब्द–भण्डार संसार की किसी भाषा से ज्यादा है। लेकिन ये शब्द आधुनिक ज्ञान के लिए अभी मँजे नहीं हैं। माँजने का कार्य बिला शक होना चाहिए। इसके शब्दकोश रचे जाएँ, अनुवाद किए जाएँ और किताबें लिखी जाएँ। यह सब काम होता रहे। लेकिन अपने में यह अधूरा है। इस

काम को चाहे जितना करें इसमें सफलता नहीं मिल सकती। शब्दों के माँजने का यह एक आवश्यक तथा अनिवार्य तरीका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सरस्वती,सी.एम. भारतीय राजनीतिक चिन्तन मीनाक्षी प्रकाशन ,मेरठ, सं0 1994,पृ0 226
2. कुमार आनन्द,गाhधी,लोहिया,जयप्रकाश और हमारा समय, नई किताब,दिल्ली,सं02014,पृ077
3. लोहिया राममनोहर, भारतमाता–धरतीमाता, लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद, संस्करण,2007,पृ0169
4. लोहिया राममनोहर, भारतमाता–धरतीमाता, लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद, संस्करण, 2010,पृ0165
5. लोहिया राममनोहर,भारतमाता–धरतीमाता, लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,संस्करण,2010,पृ0167
6. किशोर, गिरिराजः त्रैमासिक पत्रिका 'अकार', अगस्त–नवम्बर 2010,पृ011
7. लोहिया राममनोहर , भारतमाता–धरतीमाता, लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद, संस्करण, 2010, पृ0170